

बैंक ऑफ बड़ौदा

प्रधान कार्यालय – मांडवी, बड़ौदा 390 006

फॉर्म बी

प्रॉक्सी फार्म

(शेयरधारक द्वारा भरा एवं हस्ताक्षर किया जाए)

पंजीकृत फोलियो नंबर	डीपी आईडी नं	
	ग्राहक आईडी नं	
(यदि शेयर अभौतिक रूप में न हो)		(यदि शेयर अभौतिक रूप में हो)
शेयरों की संख्या		

मैं/हम _____ निवासी _____
 _____ जिला _____ राज्य _____

बैंक ऑफ बड़ौदा का / के शेयरधारक होने के नाते एतद्वारा श्री/श्रीमती _____
 निवासी _____ जिला _____ राज्य _____ को या उनके न होने पर
 श्री/श्रीमती _____ निवासी _____ जिला _____
 राज्य _____ बैंक ऑफ बड़ौदा, “बड़ौदा भवन”, सर सयाजी हॉल, भूतल, प्रधान कार्यालय, आर सी दत्त रोड,
 अलकापुरी, वडोदरा - 390007, गुजरात, सोमवार, 21 जनवरी, 2019 को दोपहर 12.00 बजे बैंक ऑफ बड़ौदा के शेयरधारकों की होने वाली असाधारण सामान्य
 बैठक में मेरी /हमारी ओर से बैठक में भाग लेने और वोट देने के लिए प्रॉक्सी नियुक्त करता/करती हूँ/करते हैं।

दिनांक _____ माह _____ 2018/2019 को हस्ताक्षरित

रसीदी
टिकट

प्रॉक्सी/ प्रथम धारक / एकमात्र शेयरधारक के हस्ताक्षर _____

नाम : _____

पता : _____

प्रॉक्सी फॉर्म पर हस्ताक्षर करने एवं इसे जमा करने संबंधी अनुदेश

- प्रॉक्सी का लिखत तब तक वैध नहीं माना जाएगा जब तक कि -
 - एकल शेयरधारक व्यक्ति के मामले में, शेयरधारक द्वारा या उसके द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत उसके अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित हो अथवा
 - संयुक्त धारकों के मामले में, यह रजिस्टर में दर्ज प्रथम शेयरधारक द्वारा या उसके द्वारा लिखित रूप में विधिवत प्राधिकृत उसके अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित हो अथवा
 - निकाय कार्पोरेट के मामले में, लिखित रूप में विधिवत प्राधिकृत इसके अधिकारी अथवा अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित हो।

बशर्त प्रॉक्सी लिखत शेयरधारक द्वारा उपयुक्त रूप से हस्ताक्षरित होना चाहिए परंतु यदि किसी कारण से वह अपना नाम लिखने में असमर्थ है और उसके अंगूठे का निशान लगाया गया है तब यह तभी वैध माना जायेगा जब इसे किसी न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार ऑफ एश्योरेन्सेस या किसी अन्य सरकारी राजपत्रित अधिकारी या बैंक ऑफ बड़ौदा के किसी अधिकारी द्वारा सत्यापित किया गया हो।
- विधिवत स्टांपित होने एवं मुख्तारनामा या अन्य प्राधिकार (यदि कोई हो) जिसके तहत हस्ताक्षर किए गये हैं अथवा उस मुख्तारनामा या अन्य प्राधिकार की प्रति जो कि किसी नोटरी पब्लिक या मैजिस्ट्रेट या किसी प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित की गयी हो के साथ बैंक के प्रधान कार्यालय को बैंक ऑफ बड़ौदा, केवाईसी - एएमएल विभाग, सातवां तल, बड़ौदा भवन, आर.एस. नंबर 576, आर.सी. दत्त रोड, सेंटर प्वाइंट के सामने, अलकापुरी,

वडोदरा (गुजरात) 390 005 के पास असाधारण सामान्य बैठक की तारीख से चार दिन पहले अर्थात् 16 जनवरी 2019 को सायं 4.00 बजे या उससे पहले जमा किए जाने पर ही प्रॉक्सी को वैध माना जाएगा। यदि संबंधित मुख्तारनामा पहले से ही पंजीकृत है तो मुख्तारनामे की पंजीकरण संख्या तथा तारीख का उल्लेख किया जाना चाहिए।

- प्रॉक्सी का लिखत फार्म “बी” में होने पर ही वैध माना जाएगा।
- बैंक के पास जमा किया गया प्रॉक्सी - लिखत अप्रतिसंहरणीय और अंतिम होगा।
- विकल्प के तौर पर दो गारंटियों के पक्ष में दिए गए प्रॉक्सी-लिखत के मामले में, एक से अधिक फार्म को निष्पादित नहीं किया जाएगा।
- प्रॉक्सी-लिखत निष्पादित करने वाला शेयरधारक असाधारण सामान्य बैठक में व्यक्तिगत रूप में मतदान का हकदार नहीं होगा।
- किसी भी व्यक्ति को, जो बैंक का अधिकारी अथवा कर्मचारी है, ऐसा विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि प्रॉक्सी नियुक्त नहीं किया जाएगा।
- प्रॉक्सी धारक संकल्प के पक्ष या विपक्ष में वोट दे सकता है।
- प्रॉक्सी फार्म में किए गए सभी परिवर्तन विधिवत रूप से अधिप्रमाणित किए जाने चाहिए।

Bank of Baroda

Head Office: Mandvi, Baroda - 390 006.

FORM "B"

PROXY FORM

(To be filled in and signed by the Shareholders)

Regd. Folio No.		DP ID	
		Client ID	
(If shares are not dematerialized)		(If shares are dematerialized)	
No. of Shares			

I / We _____ resident/s of _____ in the district of _____ in the State of _____ being a shareholder / shareholders of the Bank of Baroda, hereby appoint Shri/Smt _____ resident of _____ in the district of _____ in the State of _____ or failing him / her, Shri / Smt _____ resident of _____ in the district of _____ in the State of _____ as my / our proxy to vote for me/us and on my/our behalf at the **Extraordinary General Meeting** of the Shareholders of the Bank of Baroda to be held on Monday, 21st January 2019 at 12.00 Noon at Bank of Baroda, "Baroda Bhavan", Sir Sayaji Hall, Ground Floor, Head Office, R.C. Dutt Road, Alkapuri, Vadodara - 390007, Gujarat., and at any adjournment thereof.

Signed this _____ day of _____ 2018/2019

Signature of Proxy/Signature of first named / Sole shareholder

Name _____

Address _____

Revenue
stamp

Instructions for signing and lodging the Proxy Form

1. No instrument of proxy shall be valid unless,
 - a) in the case of an individual shareholder, it is signed by him/her or by his/her attorney, duly authorized in writing, or
 - b) in the case of joint holders, it is signed by the shareholder first named in the register or his/ her attorney, duly authorized in writing, or
 - c) in the case of a body corporate signed by its officer or an attorney duly authorized in writing.

Provided that an instrument of Proxy shall be sufficiently signed by any shareholder, who is, for any reason, unable to write his/her name, if his/her mark/thumb impression is affixed thereto and attested by a Judge or Magistrate or Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Government Gazetted Officer or an Officer of Bank of Baroda.

2. No proxy shall be valid unless it is duly stamped and is deposited at the Head Office of the Bank at Bank of Baroda, KYC-AML Department, 7th Floor, Baroda Bhavan, R. S. No. 576, R C Dutt Road, Opp. Centre Point, Alkapuri, Vadodara -390007, not less than **FOUR DAYS** before the date fixed for the Extra-ordinary General Meeting, i.e. on or before 4.00 p.m. on **16th January 2019** together with the Power of Attorney or other authority

(if any) under which it is signed or a copy of that Power of Attorney or other authority certified as a true copy by a Notary Public or a Magistrate, unless such a power of attorney or the other authority is previously deposited and registered with the Bank/its Registrar and Share Transfer Agent. If already registered, the Registration No. and Date be provided.

3. No instrument of the proxy shall be valid unless it is in Form "B"
4. An instrument of proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.
5. In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one Form shall be executed.
6. The granter of an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the General Meeting to which such instrument relates.
7. No person shall be appointed as duly authorized representative or a proxy who is an officer or an employee of Bank of Baroda.
8. The proxy holder may vote either "FOR" or "AGAINST" the resolution.
9. All alterations in the Proxy Form should be duly authenticated.